

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

Dy. No. 65/OD  
Date. 05/12/17

- 1— मुख्य प्रशासक,  
उत्तराखण्ड आवास एवं  
नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 3— उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी,  
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,  
पौड़ी / टिहरी।

- 2— उपाध्यक्ष,  
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण,  
हरिद्वार।

## आवास अनुभाग—2

देहरादून, दिनांक 29 नवम्बर, 2017

**विषय:** मा० राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में पर्वतीय क्षेत्र हेतु यथा ऋषिकेश से गंगा नदी के किनारे अपेक्षित रेण्यूलेशन पोलिसी, निर्माण कार्य हेतु गाईडलाईन्स एवं बाईलॉज निर्गत किये जाने विषयक।

## महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में पर्वतीय क्षेत्र यथा ऋषिकेश से गंगा नदी के किनारे विकास / निर्माण निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

## पर्वतीय क्षेत्र

## (क) प्रतिबन्धित जोन: —

ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी के मध्य से 100 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबन्धित जोन निर्धारित किया गया है। पर्वतीय भू-भाग की स्थलाकृति एवं नदी प्रवाह के दृष्टिगत इस क्षेत्र के प्रतिबन्धित क्षेत्र का निर्धारण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1— नदी के मध्य से 100 मीटर अथवा पच्चीस साल के अन्तराल के आधार पर (floods upto 25 year frequency) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से जो अधिक हो, के अनुसार प्रतिबन्धित जोन का निर्धारण किया जायेगा।

2— प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नवनिर्माण अनुमन्य नहीं होगा एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण / तटबन्ध / नदी तटीय विकास / स्नानघाट निर्माण / बाढ़ प्रबन्धन कार्य / मार्ग / सेतु निर्माण व अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य एवं तत्सम्बन्धी निर्माण आदि अनुमन्य होंगे। इस क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, नदी कटान आदि आपदाओं की दृष्टि से स्थल के सुरक्षित होने की स्थिति में विद्यमान निर्माण की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार नियमानुसार अनुमन्य होंगे तथा ऐसे निर्माणों का विस्तार अथवा किसी प्रकार का नव निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। यदि इन

निर्माणों / परिसरों में समुचित ठोस अपशिष्ट निस्तारण व सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था अनुपलब्ध हो तो यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी आवश्यक होगी।

3- इस क्षेत्र में Dump Sites/ Landfill Sites निषिद्ध होंगे।

नोट- उक्तानुसार परिभाषित प्रतिबन्धित जोन का निर्धारण उत्तराखण्ड बाढ़ मैदानी परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अधीन सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ख) रेग्यूलेटरी जोन: -

उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र के पश्चात् अग्रेत्तर 200 मीटर तक का क्षेत्र रेग्यूलेटरी जोन अन्तर्गत परिभाषित होगा।

(1) इस क्षेत्र में समय-समय पर आहुत होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थायी निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला सीवेज व ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्धन होगा, जिसका परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जाना होगा।

(2) उक्त के अतिरिक्त जहाँ स्थल की ढाल 30 डिग्री से अनाधिक है, में संबंधित तकनीकी विभाग / भू-वैज्ञानिक की site stability report के आधार पर निर्माण/पुनर्निर्माण निर्धारित प्रतिबन्धों की सीमा तक अनुमन्य होंगे।

(i) मठ, आश्रम एवं मन्दिर का निर्माण निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होगा :-

(अ) भू-आच्छादन— 35 प्रतिशत,

(ब) तल क्षेत्र अनुपात (एफ०ए०आर०)- 0.70,

(स) भवन की अधिकतम ऊँचाई 6.5 मीटर अथवा दो मंजिल,

(द) प्रकरण में सीवेज निस्तारण की व्यवस्था उपलब्ध हो तथा इसको नदी एवं इसकी मुख्य धाराओं में अवमुक्त न किया जाये।

(ii) इस क्षेत्र में भवनों का निर्माण राज्य में प्रभावी भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार अधिकतम 6.50 मीटर ऊँचाई व ढालदार छत के रूप में इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि ऐसे निर्माणों हेतु सीवेज निस्तारण की व्यवस्था अनिवार्य होगी तथा इसको नदी एवं इसकी मुख्य धारायें अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

(iii) अवस्थापना एवं नदी तटीय विकास सम्बन्धी आवश्यक निर्माण एवं विकास कार्य अनुमन्य होंगे।

(iv) इस क्षेत्र में Dump Sites निषिद्ध होंगे। / Solid Waste Management Rules-2016 के अनुसार Landfill Sites नदी तट से 100 मीटर तथा Flood Plain अन्तर्गत निषिद्ध होंगे।

नोट-उक्तानुसार परिभाषित रेग्यूलेटरी जोन का निर्धारण उत्तराखण्ड बाढ़ मैदानी परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अधीन सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम प्लिन्थ लेवल 1.00 मीटर होगा।

4- क्षेत्र की सीवरेज ट्रीटमेंट/निस्तारण व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पेयजल निगम से परीक्षण कर अनापत्ति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

5- भवन निर्माण के अन्य प्राविधान राज्य में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम के अनुसार मान्य होंगे।

2- गंगा नदी के किनारे निर्माण/प्रतिबन्ध से संबंधित पूर्व के समस्त षासनादेशों को भी तत्काल प्रभाव से अधिकमित किया जाता है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या 1995/V-2-2017-58(आ०)/2014-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल / कुमायू मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
- 4- जिलाधिकारी, हरिद्वार / देहरादून।
- 5- मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
- 6- महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- ✓- 8- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।

EE  
मुख्य सचिव  
प्रमुख सचिव  
1.12.17.

आज्ञा से,

( प्रेम सिंह राणा )  
अनु सचिव